

FROM No.III


फर्ड अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

अज अदालत..... ~~बायत~~ मुकाम.....

..... बनाम ~~ने नारायण बगोटा~~ ~~ने नारायण बगोटा~~

किस्म मुकदमा..... ~~नाच आवेदन~~ नं..... 03/19 सन् 2019

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 02/01/19 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रिवाहराम सिन्हा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 120 RCR Act</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/1/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p> | |
| 21/01/19 | <p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र। प्रार्थीजिणों के नोटिस तामिल क्रम तामिल क्रमगत/सिद्ध पीठामिन अधिकारी डिग्नर डामों के चरम होने से मित्राल इलतवा दोहर प्रामाणी दिनांक <u>11/02/19</u> को पेश की।</p> | |
| 11/02/19 | <p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र। प्रार्थीजिणों के नोटिस तामिल क्रम तामिल क्रमगत/सिद्ध पीठामिन अधिकारी डिग्नर डामों के चरम होने से मित्राल इलतवा दोहर प्रामाणी दिनांक <u>10/04/19</u> को पेश की।</p> | |

10/04/19

पार्थी वहील उपस्थित। अध्यापिका वाक्यस
 लामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार
 सावाज लगाई गई, फेलिप सावाज 5.45 pm पर
 लगाई गई, अध्यापिका स्वयं या उनकी कोई भी
 अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुई। सिद्दाजा उनडे विलड
 एडवोकेट साधवणी मसल में सादर जाती है। पार्थी के
 अधिवक्ता की एकपक्षीय बयान बुनी गई, पार्थी के
 अधिवक्ता ने बयानों की पार्थी को अपने ब्यातेदारी
 घेत के चारों कोर पन्हे नेषम स्थापित उरवाना
 सावधान है इसलिए पार्थी को नेषमबन्दी फावेडन
 स्वीकार हीमा जाडर नेषमबन्दी फावेडन किया जावे।
 कतः पार्थी अधिवक्ता के निवेदन
 पर पार्थी को नेषमबन्दी फावेडन स्वीकार हीमा जाडर
 लखलीलडर गिडर को इमिशनर निमुक्त हीमा जाडर
 है व फावेडन दिया जाता है कि डाय स्वयं या अपने
 अधिवक्ता हीली गी भूक कमिलेय मिनिडर के पार्थी
 के ब्यातेदारी घेत की पन्ही नेषमबन्दी मोडे पर
 कुलुड जमाडराडर है, पालना रिपोर्ट अप्त नीने पर
 सामिल पत्रावली है, पत्रावली मसल कुमार है, दर्ज
 नम्बर में कम है, दाखिल दफतर है।
 10.4.2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 91

दिनांक : 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चूनाराम पुत्र हड़मानराम
वगैरा 2 निवासी लेगो की ढाणी सौहड़ा
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. नैनाराम पुत्र कलाराम
वगैरा 32 निवासी लेगो की ढाणी
सौहड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 3/2019

आदेश

मौजा लेगों की ढाणी पटवार हल्का सौहड़ा के खेत खसरा नम्बर 86 रकबा 48.09 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू-अनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा/बायतु/नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

10-4-2019

(अनिल कुमार पुनिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 10/4/19

क्रमांक : वाद / 2019 / 92 + 96

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सौहड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री चुनाराम पुत्र हड़मानराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री नैनाराम पुत्र कलाराम वगैरा 32।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा।



10-4-2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु